कार्यालय अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ कैम्प, गाजियाबाद।

आदेशॉक–वा0क0अधि0/यु0पी0ग0/270/2022 कैम्प–गा0बाद :: दिनॉक 23 दिसम्बर, 2022

–:: आदेश ::–

वाणिज्य कर अधिकरण पीठ–प्रथम, नोएडा के सदस्य श्री सुनीत चन्द्रा का एक पत्र इस आशय का प्राप्त हुआ है कि उनसे नोएडा बार व गाजियाबाद बार के विद्वान अधिवक्तागण मिले और विद्वान अधिवक्तागण द्वारा माह जनवरी, 2023 में एक युगलपीठ ओर गठित करने की याचना की गयी, क्योंकि वहॉ पर कार्य की अधिकता है।

यद्यपि माह जनवरी–2023 में 02 युगलपीठ पूर्व में दिनॉक 02–01–2023 से 06–01–2023 तक एवं दिनॉक 16–01–2023 से 20–01–2023 तक गठित की जा चुकी हैं। लेकिन विद्वान अधिवक्तागण के निवेदन व श्री सुनीत चन्द्रा सदस्य पीठ–प्रथम, नोएडा के पत्र को दृष्टिगत रखते हुए माह जनवरी–2023 में न्यायहित में एक ओर युगलपीठ गठित किया जाना न्यायसंगत एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः दिनॉक 23–01–2023 से 27–01–2023 तक एक अतिरिक्त खण्डपीठ की जाती है जिसमें श्री सुनीत चन्द्रा, सदस्य पीठ–प्रथम, नोएडा एवं श्री ओ0पी0 सिंह, सदस्य पीठ–2, गाजियाबाद सम्मिलित होंगे।

(अरविन्द मलिक)
एच0जे0एस0
अध्यक्ष,
वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ कैम्प–गाजियाबाद।

पृष्ठॉकन–वा0क0अधि0/यु0पी0ग0/कैम्प, गाजियाबाद/270(3)/2022 दिनॉक :: उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– सदस्य पीठ–प्रथम, नोएडा/सदस्य पीठ–2, गाजियाबाद।
2– कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0, लखनऊ।
3– मुन्सरिम/पेशकार/वरिष्ठ सहायक (यात्रा भत्ता)/विवरण/कम्प्यूटर, मुख्यालय।
4– सम्बन्धित अधिवक्ता संघ।

(अरविन्द मलिक)
एच0जे0एस0
अध्यक्ष,
वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ कैम्प–गाजियाबाद।